

सं0सं0- टी 3 योजना-33/2008 (खंड 1)- 865

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना।

प्रेषक,

उप सचिव,

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 15.05.2026

विषय- राज्य योजना अंतर्गत मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवधि विस्तार तथा रू0-1850.00 लाख (रूपये आठरह करोड़ पचास लाख) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीनस्थ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निदेशालय के कुशल प्रशासन एवं गुणात्मक विकास, पारदर्शिता, नामांकन पद्धति, परीक्षा प्रणाली में सुदृढीकरण इत्यादि कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम योजना का वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में रू0- 1850.00 लाख (रूपये आठरह करोड़ पचास लाख) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना पर व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2026-2027 में बजट उपबंध रू0-1850.00 लाख (रूपये आठरह करोड़ पचास लाख) मात्र उपलब्ध है।

3. इस स्कीम पर व्यय मांग संख्या-53, मुख्य शीर्ष 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष 03-प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 003-शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, उप शीर्ष 0135- मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, विपत्र कोड-53-2230030030135 के विषय शीर्ष (21-01)- सामग्री एवं पूर्तियां अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राज्य स्कीम के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे एवं इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी प्रभारी प्राचार्य /प्राचार्य/उप निदेशक/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी/ सहायक निदेशक प्रशिक्षण/सहायक निदेशक प्रशिक्षण शिक्षु/सहायक निदेशक परीक्षा होंगे, जिन्हें आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जाएगी।

5. यह चालू योजना है।

6. प्रस्ताव में संचिका संख्या-टी 3/योजना-33/2008 (खंड 1) के पृष्ठ 40/टि० पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन, पृष्ठ-40/टि० पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है तथा पृष्ठ-38/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

S. Nayak
14/5/26
(शंकर दयाल)

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।

ज्ञापांक- टी 3/योजना-33/2008 (खंड 1)- 865

पटना, दिनांक- 15.05.2026

प्रतिलिपि- सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Nayak
14/5/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।

ज्ञापांक- टी 3/योजना-33/2008 (खंड 1)- 865

पटना, दिनांक- 15.05.2026

प्रतिलिपि- सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/योजना एवं बजट शाखा, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के आप्त सचिव/सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशिक्षण पक्ष/आई०टी० मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/निदेशालय बजट शाखा/निदेशालय मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम योजना से संबंधित /क्रय (मुख्यालय)/निदेशालय मासिक व्यय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Nayak
14/5/26

उप सचिव

युवा, रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।

R